फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/6/22	वकीलो द्वारा आज कण्डोलेस रखे जाने पर पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 6/7/22 को पेश हो। [illegible]
	6/7/22	व. ग्रा. उप./ अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ग्रा. पं. बाबत नवीन सीमाज्ञान के आधार पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14/6/22 को शामिल कर पत्रावली के आदेश [illegible] पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया ग्रा. पं. बाबत नवीन सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14/6/22 पर बहस [illegible] बहस पर मंजूर किया गया। ग्रा. पं. [illegible] स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्रा. पं. बाबत प्रस्तुत [illegible] प्रार्थी की एवं पक्षों [illegible] बहस [illegible] प्रा. स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 135/2021

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम माधोकाबास, तन भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

--प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, भू राजस्व अधिनियम,

निर्णय दिनांक–06.07.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम भूतेडा, पटवार हल्का भूतेडा, भू.अभि.नि. क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1065 रकबा 2.69 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम से दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 भाग है तथा शेष हिस्सा प्रार्थी के सगे भाईयों का है। उक्त भूमि के लगवा गै० मु० चाह सरकारी भूमि है। खसरा नम्बर 1065 की दक्षिणी सीमा की ओर सरकारी भूमि स्थित है। जिसके सीमा की ओर ख0न0 1062 व 1064 हैं। उक्त प्रा0प0 में ख0न0 1065 की दक्षिण सीमा की पत्थरगढी करवानी है।

दिनांक 11.05.2001 को श्रीमान् तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2001/937 दिनांक 12.04.2001 की पालना मे ग्राम भूतेडा के खसरा नम्बर 1066, 1067, 1065 का सीमाज्ञान करवाया गया था। मौके पर प्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम ग्राम खसरा नम्बर 1051 से जरीब चलाया गया। उसके पश्चात् बाद ग्राम भूतेडा व माधोकाबास की सीमा पर पश्चिम दिशा मे जरीब चलाकर खसरा नम्बर 1065 का उत्तरी पश्चिमी कोना कायम किया गया, जिसका सत्यापन ग्राम भूतेडा के ख0 नं0 1070 के उत्तर पूर्व कोने पर स्थित पुराना सरहद के पत्थर से किया गया। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा[illegible] आराजीयात् की पत्थरगढी के आदेश फरमानें की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र [illegible] अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की तलबी [illegible] अधिवक्ता प्रा[illegible] प्रार्थना पत्र बाबत नवीन सीमाज्ञान के आधार पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.06.2022 को शामिल कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाने बाबत पेश किया गया। प्रार्थना [illegible] न्यायाहित में स्वीकार किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 14.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

884

उपखण्ड अधिकारी चौमूं जयपुर

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन/विवाद नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी चौमू जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:47 IST
Reason: SelfAttested